न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमूं (जयपुर)

... 83 / 2021

उनवान

1. लल्लूराम पुत्र हनुमान, जाति जाट, निवासी चौपड़ा की ढाणी, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

——प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए लैण्ड होल्डर, तहसीलदार महोदय, तहसील–चौमूं जिला–जयपुर (राजस्थान)।

——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, सपठित धारा–111 भू–राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक–02.09.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि वाके ग्राम चौमूं, पटवार हल्का चौमूं बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 5157 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.91 हैक्टेयर, कुल किता 2 का कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसकी सम्पूर्ण की खातेदारी प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित प्रार्थी की भूमि का सीमाज्ञान श्रीमान् तहसीलदार महोदय, चौमूं के आदेश क्रमांक भू0अ0/2021/2113 दिनांक 21.06.2021 की पालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 07.07.2021 को मौके पर पंहुचकर उपस्थित व्यक्तियों के समक्ष गै0 मु0 चाह खसरा नम्बर 5158 को आधार मानकर जरीब चलाकर सीमा नापकर सभी पक्षकारान् को समझाई गई थी, जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी अपनी खसरा नम्बरों की भूमि की सी सीमाओंकी पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हुआ।

उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसकी पत्थरगढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है, किन्तु अन्य व्यक्ति प्रार्थी को उनके कब्जेशुदा एवं स्वामित्व की उपरोक्त वर्णित भूमि की पत्थरगढी नहीं करवाने दे रहे है जिनका की उक्त आराजीयात् से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जिस कारण यदि पत्थरगढी के आदेश माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान किये जाते है तो इससे किसी पक्षकार को कोई हानि नहीं होगी तथा प्रार्थी अपने कब्जेशुदा स्वामित्व की भूमि का स्पष्ट सीमांकन करवाकर सुरक्षित उपयोग उपभोग कर ...

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.10.29 10:58:30 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ ... श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 1 में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर 5157 रकबा 1.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5174 रकबा 0.91 हैक्टेयर, कुल

Scanned with CamScanner

किता 2 का कुल रकबा 2.12 हैक्टेयर की सीमाओं की पत्थरगढी के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की सीधी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण आवेदित आराजी की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। नियमानुसार प्रत्येक खातेदार को अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का कानूनन हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार चौमू के आदेश से दिनांक 07.07.2021 को पटवारी हल्का द्वारा करवाया जा चुका है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र पत्थरगढी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र बाबत् पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार चौमू को आदेश दिये जाते है कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तथा मौके पर फसल न हो तो सीमाज्ञान दिनांक 07.07.2021 के अनुसार पत्थरगढी की कार्यवाही करवाना सुनिश्चित करें। तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक **02.09.2021** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राहुल जैन
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, चौमू
(जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.10.29 10:58:30 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner